

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक 04-01-2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा-2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला बुलन्दशहर के 1229 राजस्व ग्रामों को ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 428/एक-14/2020 दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

उक्त के क्रम में मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर की तहसील सदर, खुरजा, शिकारपुर, डिबाई, स्याना के ग्यारवें चरण हेतु नीचे अंकित अनुसूची में विनिर्दिष्ट 48 ग्रामों में आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ स्वामित्व योजना के अधीन कार्य प्रारम्भ/सम्पादित करने का आदेश देता हूँ।

अनुसूची

जनपद का नाम	क्र०सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्र०सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम
बुलन्दशहर	1	सदर	शेरपुर	26	शिकारपुर	रानऊ रहमअलीपुर
बुलन्दशहर	2	सदर	अन्हैडा	27	शिकारपुर	शिवनगर उर्फ दूसरी
बुलन्दशहर	3	सदर	समकौला	28	शिकारपुर	सेहतपुर बैरी
बुलन्दशहर	4	सदर	उटसरा	29	शिकारपुर	सैदगढ़ी
बुलन्दशहर	5	सदर	नयागाँव	30	शिकारपुर	सोई
बुलन्दशहर	6	सदर	सैमली	31	डिबाई	पला कसेर
बुलन्दशहर	7	सदर	ईस्माइला	32	डिबाई	मऊ नगला
बुलन्दशहर	8	सदर	हुसैनपुर	33	डिबाई	बैलोन
बुलन्दशहर	9	सदर	नोसाना	34	डिबाई	ढकनगला
बुलन्दशहर	10	सदर	अहमदानगर	35	डिबाई	ऊँचागाँव खादर
बुलन्दशहर	11	खुरजा	गोठनी	36	डिबाई	महाराजपुर रतुआनगला
बुलन्दशहर	12	खुरजा	भिण्डौर	37	डिबाई	चिरौरी ता० प्ररगवाँ
बुलन्दशहर	13	खुरजा	गंगथला	38	डिबाई	असालतपुर उर्फ नौजरपुर खादर
बुलन्दशहर	14	खुरजा	शाहरपुर कलौ	39	स्याना	काचरौट
बुलन्दशहर	15	खुरजा	रामगढ़ी	40	स्याना	नरसैना
बुलन्दशहर	16	खुरजा	धरपा चूहरपुर	41	स्याना	मौ० बरवाला
बुलन्दशहर	17	खुरजा	हसनगढ़	42	स्याना	शादीपुर बनबोई
बुलन्दशहर	18	खुरजा	सरावा दादपुर	43	स्याना	नरेन्द्रपुर
बुलन्दशहर	19	खुरजा	मैना मौजपुर	44	स्याना	बसी बाँगर
बुलन्दशहर	20	खुरजा	सीकरी	45	स्याना	सवदलपुर
बुलन्दशहर	21	शिकारपुर	असरौली	46	स्याना	अमरगढ़
बुलन्दशहर	22	शिकारपुर	तैयबपुर	47	स्याना	कनौना
बुलन्दशहर	23	शिकारपुर	बरासऊ	48	स्याना	प्याना खुर्द
बुलन्दशहर	24	शिकारपुर	बरौली			
बुलन्दशहर	25	शिकारपुर	महमूदपुर			

( रविन्द्र कुमार )

जिलाधिकारी/जिला अभिलेख अधिकारी,  
बुलन्दशहर।



पत्रांक 1661

/सात-भूलेख/स्वामित्व योजना

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग-9, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
5. अपर जिलाधिकारी-प्रशासन/नोडल अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचित ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराते हुये प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा इस अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु जनपद मुख्यालय, डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय, संबंधित ब्लॉक एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त तहसीलदार जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचित ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराते हुये प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा इस अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु जनपद मुख्यालय, संबंधित तहसील में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
10. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

जिलाधिकारी / जिला अभिलेख अधिकारी,  
बुलन्दशहर।

1661/10/2011  
1006-10-29/1991